Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019 (VAISAKHA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2019

संख्या 1492/संवि0/अनु0 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	परियोजना अधिकारी	(i) भौतिक/रसायन /गणित / संक्रियात्मक अनुसंधान में कम से कम साठ प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री ; अथवा कम से कम साठ प्रतिशत अंको सहित इलैक्ट्रिकल/मकैनिकल / रसायन / कम्प्यूटर / कृषि इंजीनियरींग में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री ; (ii) ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमों की आयोजना, विकास तथा कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव; तथा	**पदोन्नति द्वारा—** सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम साठ प्रतिशत अंको सहित भौतिक / रसायन/गणित/संक्रियात्मक अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम साठ प्रतिशत अंको सहित इलैक्ट्रिकल/मकैनिकल/कम्प्यूटर/ रसायन/कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री ;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
		(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :– पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	(ii) ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमों की आयोजना, विकास तथा कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव ; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :– पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा
2	परियोजना अर्थशास्त्री	(i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) अर्थमिति योजना, मात्रिक विश्लेषण या परियोजनाओं को बनाने का पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत । टिप्पणी :– पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा––** (i) अर्थ शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) आर्थिक योजना, मात्रिक विश्लेषण या परियोजनाओं को बनाने का पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत । टिप्पणीः– पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा
3.	लेखा अधिकारी	––	**स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा––** वित्त विभाग, हरियाणा से राज्य लेखा अधीनस्थ (एस०ए०एस०) संवर्ग का अधिकारी।
4.	अधीक्षक	––	**पदोन्नति द्वारा–** उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत । टिप्पणी :– पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा

टी० सी० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2019

No. 1492/Const./Art.309/2019.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group B) Service (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, for Appendix B the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX B"

(see rule 7)

Serial Number	**Designation of posts**	**Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Project Officer	(i) Masters / Degree in Physics/ Chemistry/ Mathematics /Operational Research with at least 60% marks or equivalent degree; Or Bachelor Degree in Electrical / Mechanical / Chemical / Computer / Agricultural Engineering or equivalent degree with at least 60% marks; (ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	**By promotion-** Five years experience as Assistant Project Officer. **By transfer or deputation-** (i) Masters/Degree in Physics/ Chemistry/Mathematics/ Operational Research with at least 60% marks or equivalent degree; Or Bachelor Degree in Electrical/ Mechanical / Computer/ Chemical/ Agricultural Engineering or equivalent degree with at least 60% marks; (ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.

Serial Number	**Designation of posts**	**Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1	**2**	**3**	**4**
2.	Project Economist	(i) Masters degree in Economics; (ii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. **Note-** Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	**By transfer or deputation-** (i) Masters degree in Economics; (ii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. **Note-** Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.
3.	Accounts Officer	----	Officer of State Accounts Subordinates cadre from Finance Department;
4.	Superintendent	---	**By promotion-** Two years experience as Deputy Superintendent or Seven years experience as Assistant. **By transfer or deputation-** (i) Two years experience as Deputy Superintendent or Seven years experience as Assistant; and (ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.".

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.

57031—C.S.—H.G.P.,Chd.